FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... सरकार जरिए तहसीलदार बनाम .... एजनबाई ....

करम मुकदमा .... नं0 ....81/19.................... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01072019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो। [signature]	सोहनलाल नाथूलाल
12.7.19	पत्रावली आज पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व सभी पक्षकार उपस्थित। सभी पक्षकारो ने अपनी आराजी में हिस्से नही होने से बताया कि उनके सभी सह खातेदारो ने आपसी सहमति से हिस्से बताये जो निम्न है। ग्राम बानोड़ा आराजी नं० 450, 451, 452, 453 किता 4 रकबा 0.69 है० भूमि में एजनबाई पत्नी हीरालाल का हिस्सा 1/8 कालु पिता दोला का हिस्सा 1/16 छापुबुर्जी रामचन्द्र का हिस्सा 1/16 नाथु का हिस्सा 1/80	नन्दीलाल मोहन भेरु रामेश्वर गोपाल हीराह नि. एजनबाई नि. रामीबाई नि. मगली

Scanned by CamScanner

ओंकार का हिस्सा 1/80 सोहन का हिस्सा 1/80 गट्टू का हिस्सा 1/80 पिता देवी लालनारायण का हिस्सा 1/40 लक्ष्मण का हिस्सा 1/40 पिता प्यारचन्द चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20 रतना का हिस्सा 1/120 मोहन का हिस्सा 1/120 कमली का हिस्सा 1/120 रुकमणी का हिस्सा 1/120 शुली का हिस्सा 1/120 पिता भूरा प्यारी बेवा भूरा का हिस्सा 1/120 गोपाल का हिस्सा 1/80 कैलाश का हि0 1/80 मोहन का हिस्सा 1/80 पिता बालु रामी बेवा बालु का हिस्सा 1/80 कमली बेवा ओंकार का हिस्सा 1/4 रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/12 रुकमाबाई का हिस्सा 1/12 पिता कन्हैयालाल हीरीबाई पत्नी कन्हैयालाल का हिस्सा 1/12 जाति रेगर दर्ज है खातेदार, इनके यह हिस्से व खातेदारों द्वारा बताये गये हिस्से आपसी आम में रखा गया जिसमें इन्होंने भी इसी हिस्से पर सहमति प्रकट की गई।

अतः सह खातेदारों की सहमति व तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व DILRMP के तहत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश/परिपत्र/क्रमांक/BR/LR/NLRMP F-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.9.17 के अनुसार उनके पूर्व वर्णित हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं [illegible]-7-18

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 81/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

.......................वादी

बनाम

1. एजनबाई पति छीतरलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
2. कालू पिता दौला दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
3. धापू पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
4. नाथू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
5. सोसर पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
6. मोत्या पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
7. गटू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
8. सत्यनारायण पिता प्यारचन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
9. लाभचन्द पिता प्यारचन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
10. चुन्नीलाल पिता गोविन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
11. रतना पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
12. मोहन पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
13. कमली पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
14. रूकमणी पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
15. भूली पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
16. जडाई पत्नि भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
17. गोपाल पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
18. सोहन पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
19. कंचनी पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
20. रामी बेवा बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
21. कमली पत्नि ऊँकार दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
22. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयॉलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
23. रूकमाबाई पिता कन्हैयॉलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
24. हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयॉलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
25. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयॉलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
26. रूकमाबाई पिता कन्हैयॉलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
27. हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयॉलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1 से 27 निर्णय दिनांक : 12.07.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/परिपत्र/क्रमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल.आर.एम.पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ़)

Scanned by CamScanner

कोर्ट जयनगर पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 12.07.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित आये।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 1229 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम बानोडा में खाता संख्या 12 संवत 2071–74 में दर्ज आराजी नं. 450, 451, 452, 453, किता–4 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि श्री एजनबाई पति छीतरलाल, कालु पिता दोला वगै. जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकोर्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं है। अतः वादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली को दिनांक 12.7.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर रंखाया गया। सभी पक्षकारान उपस्थित आए। पक्षकारो को सुना गया। प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा ग्राम बानोडा में वाद वर्णित आराजी किता 4 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि उनकी सामलाती पैतृक भूमि है एवं चम्पालाल जी के वारिसान चार पुत्रो गोविन्द दोला रतना चन्दन के नाम से दर्ज हुई है। जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4 है। गोविन्द दोला रतना चन्दन फोत होने से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए है। प्रेमबाई पिता गोपी व राजू पिता दोला द्वारा स्वयं का निहित हिस्सा का बेचान जो 1/8 है एजनबाई पत्नि छीतरलाल दरोगा को किया है। कोर्ट कैम्प में सजरा बनाया जाकर सजरे में पक्षकारो के बताये मुताबिक खातेदारो के हिस्से दर्ज किये गये सजरे में दर्ज हिस्से घोषित करवाने हेतु सभी प्रतिवादीगण सहमत है।

रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। सेटलमेन्ट रिकोर्ड में वाद वर्णित आराजी किता 50 रकबा 7.60 हैक्टर श्री गोविन्द, दोला, रतना पिता चम्पा, नंदा काना पिता चंदन दरोगा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। विरासत से नामान्तरण सं. 11 से दोला के बजाय गोपी कालू रामचंद्र राजू पिता दोला, नामा.सं. 12 से रतना के बजाय उँकार पिता रतना, ना.सं. 361 से गोविन्द के बजाय देवी मोडा चुन्नीलाल भूरा बालू पिता गोविंन्द, ना.सं. 206 से नंदा के बजाय भेरू काली पिता नंदा राधा पत्नि नंदा , नामा.सं. 170 से देवी के बजाय नाथू पिता देवी, सोसर मोत्या गट्टू पिता देवी नन्दु पत्नी देवी मोडा के बजाय सोहनी पिता मोडा भुरा के बजाय रतना मोहन पिता भुरा कमली रूकमणी मुली पिता भुरा जडाई बेवा भुरा बालु के बजाय गोपाल सेाहन पिता बालु कंचनी पिता बालु रामी पत्नी बालु गोपी के बजाय गीता प्रेम पिता गोपी मोडी बाई पत्नी गोपी रामचन्द्र के बजाय धापु पिता रामचन्द्र उंकार के बजाय कमली पत्नी उंकार नामा0 सं0 272 से सोहनी पिता मोडा के बजाय सत्यनारायण लाभचन्द पिता प्यारचंद,नामा.सं. नामा0 सं0 343 से भैरू काली पिता नंदा, राधा पत्नि नंदा ने अपना निहित हिस्सा 1/8 है का बेचान रामेश्वरलाल रूकमाबाई पिता कन्हैयॉलाल, हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयॉलाल को किया है।ना.सं. 668 काना पिता चन्दन के बजाय रामेश्वरलाल रूकमा बाई पिता कन्हैयालाल हीरी बाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल दर्ज हुआ है। ना0सं0 405 से राजू पिता दोला प्रेम पिता गोपी ने अपना निहित हिस्सा 1/8 का बअेचान ऐजनबाई पत्नि छीतरलाल दरोगा किया गया। मजमेआम में सजरा अनुसार खातेदारों के हिस्से की जानकारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

जिससे यह जाहिर आया की वाद वर्णित आराजी किता 4 रकबा 0.69 है0 सामलाती आराजी है। उक्त आराजी चम्पालाल जी की होकर उनके चार पुत्रो गोविन्द दोला रतना चन्दन पिता चम्पा के नाम दर्ज हुये है। जिसमे प्रत्येक का हिस्सा 1/4 बनता है जो सही है। अतः मजमे आम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारो की सहमती से मौजा बानोडा की आराजी किता– 4 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि के हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा की आराजी नं. 450, 451, 452, 453, किता–4 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि में ऐजनबाई पत्नि छीतरलाल का हिस्सा 1/8, कालू पिता दोला का हिस्सा 1/16, धापू पुत्री रामचन्द्र, का हिस्सा 1/16,नाथू का हिस्सा 1/80, सोसर का हिस्सा 1/80, मोत्या का हिस्सा 1/80, गटू का हिस्सा 1/80, पिता देवी , सत्यनारायण का हिस्सा 1/40, लाभचन्द का हिस्सा 1/40, पिता प्यारचंद्र, चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20, रतना का हिस्सा 1/120, मोहन का हिस्सा 1/120, कमली का हिस्सा 1/120, रूकमणी का हिस्सा 1/120, भूली का हिस्सा 1/120 पिता भूरा , जडाई बेवा भूरा का हिस्सा 1/120, कंचनी का हिस्सा 1/80, गोपाल का हिस्सा 1/80, सोहन का हिस्सा 1/80 पिता बालू रामी बेवा बालू का हिस्सा 1/80, कमली बेवा उँकार का हिस्सा 1/4, रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/12, रूकमाबाई का हिस्सा 1/12 पितार कन्हैयॉलाल, हीरीबाई पत्नि कन्हैयॉलाल का हिस्सा 1/12 जाति दरोगा सा.देह का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

12.7.19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौडगढ

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

-----लगातार

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 81/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

.......................वादी

बनाम

1. एजनबाई पति छीतरलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
2. कालू पिता दौला दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
3. धापू पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
4. नाथू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
5. सोसर पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
6. मोत्या पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
7. गटू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
8. सत्यनारायण पिता प्यारचन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
9. लाभचन्द पिता प्यारचन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
10. चुन्नीलाल पिता गोविन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
11. रतना पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
12. मोहन पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
13. कमली पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
14. रूकमणी पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
15. भूली पिता भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
16. जडाई पत्नि भूरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
17. गोपाल पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
18. सोहन पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
19. कंचनी पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
20. रामी बेवा बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
21. कमली पत्नि उँकार दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
22. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयॉलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
23. रूकमाबाई पिता कन्हैयॉलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
24. हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयॉलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
25. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयॉलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
26. रूकमाबाई पिता कन्हैयॉलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
27. हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयॉलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ

................प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ, जिला-चित्तौडगढ़

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 12.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प जयनगर पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है : अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा की आराजी नं. 450, 451, 452, 453, किता–4 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि में ऐजनबाई पत्नि छीतरलाल का हिस्सा 1/8, कालू पिता दोला का हिस्सा 1/16, धापू पुत्री रामचन्द्र, का हिस्सा 1/16, नाथू का हिस्सा 1/80, सोसर का हिस्सा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

Scanned by CamScanner

1/80, मोत्या का हिस्सा 1/80, गटू का हिस्सा 1/80, पिता देवी , सत्यनारायण का हिस्सा 1/40, लाभचन्द का हिस्सा 1/40, पिता प्यारचंद्र, चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20, रतना का हिस्सा 1/120, मोहन का हिस्सा 1/120, कमली का हिस्सा 1/120, रूकमणी का हिस्सा 1/120, भूली का हिस्सा 1/120 पिता भूरा , जडाई बेवा भूरा का हिस्सा 1/120, कंचनी का हिस्सा 1/80, गोपाल का हिस्सा 1/80, सोहन का हिस्सा 1/80 पिता बालू रामी बेवा बालू का हिस्सा 1/80, कमली बेवा उंकार का हिस्सा 1/4, रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/12, रूकमाबाई का हिस्सा 1/12 पितार कन्हैयॉलाल, हीरीबाई पत्नि कन्हैयॉलाल का हिस्सा 1/12 जाति दरोगा सा.देह का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

12.7.19
(रमेश [illegible])
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

-----लगातार

Scanned by CamScanner